RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 21 दिसंबर 2023 वर्ष 05 अंक 238 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

समाज के सभी वर्गों की राय लेने के बाद
महाराष्ट्र में होगा जातिगत जनगणना पर फैसला

मुंबई, महाराष्ट्र में जातिगठना का मुद्दा गरमाने लगा है। जाति आधारित जनगणना पर लगातार हो रहे सवालों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की राय लेकर और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर जाति आधारित जनगणना पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है जबकि कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल जातिगठना की लगातार मांग कर रहे हैं। जातिगणना के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां सभी समुदाय और जातियां एक साथ रहती हैं, एक साथ काम करते हैं एवं एक साथ जश्न मनाते हैं। इसलिए, समाज के सभी वर्गों की राय लेने के बाद लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं आम आदमी की तरह काम करता हूं, इसलिए लोग हमें और हमारी सरकार को पसंद करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विदर्भ सह-संघचालक श्रीधर गाडगे ने कल कहा था कि कि कोई जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए । इस तरह की कवायद से कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे यह डेटा मिलेगा कि किसी निश्चित जाति की आबादी कितनी है, लेकिन यह सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में अच्छा नहीं है।

नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्थापक के बी हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक एम एस गोलवलकर के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हम हर साल शीतकालीन सत्र के दौरान डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर जाते हैं। यहां आने के बाद मुझे शांति महसूस होती है तथा ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हम यहां आते हैं। हमारे यहां आने के पीछे कोई राजनीति नहीं है।

थर्टी फर्स्ट से पहले नकली शराबों की खेप बरामद

मुंबई : शराब तस्कर साल के अंत में होने वाली पार्टियों में सप्लाई करने के लिए बड़े पैमाने पर शराब का ऑर्डर दे रहे हैं। शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने अलग-अलग ब्रांड के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की यूनिट 2 के इंस्पेक्टर प्रकाश गौड़ा को सूचना मिली थी कि दाना बंदर के सोलापुर स्ट्रीट पर गोदाम नंबर 46 में अवैध रूप से लाई गई विदेशी शराब रखी गई है। सूचना मिलते ही फ्लाइंग स्क्वायड ने वहां छापा मारा और दिल्ली से महाराष्ट्र आयातित विभिन्न ब्रांडों की विदेशी स्कॉच की कुल 261 सीलबंद बोतलें और 22.44 लाख रुपये मूल्य का एक चार पहिया वाहन जब्त किया।

इस मामले में राज्य उत्पाद विभाग ने आरोपी नरेश रामेश्वर रवानी (54) और जिशान जुल्फेकार कुरेशी (31) को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों से की गई आगे की पूछताछ में पता चला कि वाडी बंदर में एमबीपीटी के वाहन लॉट में एक कंटेनर खड़ा है जिसमें विदेशी शराब रखी हुई है। जब उत्पाद शुल्क विभाग ने वहां छापा मारा, तो उन्हें 79.16 लाख रुपये की विदेशी स्कॉच की कुल 319 सीलबंद बोतलें और एक मालवाहक ट्रक मिला।

इनरवियर और विग में महिला ने छिपा रखी थी 9 करोड़ की कोकीन, मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसे हुआ भंडाफोड

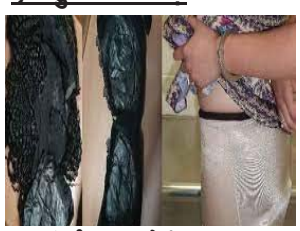

मुंबई, एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने विदेशी महिला यात्री को मादक पदार्थ के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। उसके पास से 890 ग्राम कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 8.9 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

इस मामले में जांच एजेंसी ने युगांडा की नागरिक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि युगांडा की महिला द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया गया है। उसने अपने इनरवियर और बाल में पहने हुए विग के अंदर ड्रग्स छिपा रखा था। कुल 890 ग्राम कोकीन जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 8.9 करोड़ रुपये है।

चेंबूर में वैकल्पिक सड़क का निर्माण रुका
ट्रैफिक जाम की विकराल समस्या

मुंबईः चेंबूर में यातायात भीड़ की समस्या को हल करने के लिए, मुंबई नगर निगम ने यहां जामा चौक और सुमन नगर के बीच सड़क का काम शुरू किया है। लेकिन पिछले चार वर्षों में सड़क का केवल 30 फीसदी काम ही पूरा हो सका है और दिन-ब-दिन इस इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या और जटिल होती जा रही है. इसलिए यह मांग जोर पकड़ रही है कि चेंबूरकरों की ट्रैफिक जाम की समस्या का नगर पालिका तत्काल कोई समाधान निकालकर समाधान करे.

चेंबूर के महुल गांव, गड़करी खान और वनक गांव क्षेत्र भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर स्टेशन और कुछ गैस कंपनियों का घर हैं। इसलिए इस इलाके में भारी ट्रैफिक रहता है. इसके अलावा चेंबूर कॉलोनी में बड़ा बाजार होने के कारण दिन भर भारी ट्रैफिक जाम रहता है. नतीजा, दो मिनट की दूरी तय करने में वाहनों को आधा घंटा लग जाता है। इस सड़क पर लगे कुछ मोनो पोल बाधा बन रहे हैं और नगर निगम ने आर. सी। सड़क मरम्मत का कार्य कराया गया है. अतः यातायात जाम की समस्या और अधिक जटिल हो गई है।

डेढ़ करोड़ के सोने के साथ दो यात्री गिरफ्तार;
सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई

मुंबईः कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से करीब 2400 ग्राम सोना जब्त किया है. इसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है. अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद फैजली (24) और स्टीफन किशोर (26) हैं. दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं. कस्टम विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि घरेलू हवाई परिवहन के जरिये सोने की तस्करी की जा रही है. इसी जानकारी के आधार पर कस्टम विभाग ने मुंबई के घरेलू हवाई अड्डे पर जाल बिछाया था. तभी कस्टम अधिकारियों को तमिलनाडु जा रहे दो यात्रियों पर शक हुआ. इसी संदेह पर उन्हें टर्मिनस 2 से हिरासत में लिया गया. निरीक्षण करने पर उन्हें चार पैकेट मिले। फैजाली के बटुए से 1280 ग्राम सोना मिला. इसकी कीमत 65 लाख 27 हजार रुपये है. इसके अलावा किशोर के पास 1288 ग्राम सोने का पाउडर मिला. अधिकारी ने बताया कि इसकी कीमत 65 लाख 27 हजार रुपये है. दोनों के पास से कुल 1 करोड़ 33 लाख 55 हजार रुपये का सोना जब्त किया गया है. इसके बाद सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. कस्टम विभाग को शक है कि आरोपी का संबंध विदेश से सोना तस्करी करने वाले गिरोह से है. ये तस्कर विदेश से सोना मुंबई लाते हैं। फिर सोने को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू हवाई अड्डे तक ले जाया जाता है।

ज्वैलर्स के साथ 1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

डोंबिवली – यहां स्टार कॉलोनी के एक जौहरी ने अक्टूबर में अपनी दुकान से 1 करोड़ पांच लाख 54 हजार रुपये कीमत के 1919 ग्राम सोने के आभूषण ठाणे के एक सुनार को सफाई और कारीगरी के लिए दिए थे। इस सराफा ने असली मालिक को

अंधेरे में रखा और गहने दूसरे ज्वैलर के पास गिरवी रख दिए और बदले में 50 लाख रुपये ले लिए। चूंकि इन दोनों ज्वैलर्स ने डोंबिवली के ज्वैलर को सोने के गहने या बदले में पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए मंगलवार को इस संबंध में मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

संपादकीय / लेख

नए जमाने का कानून

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

एक सदी से भी अधिक पुराने हो चुके टेलीग्राफ कानून की जगह लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 का प्रस्तुत किया जाना इस क्षेत्र के लिए एक स्वागत योग्य घटना है। यह क्षेत्र वित्तीय संकट और दो कंपनियों का दबदबा होने की आशंका से जूझ रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रस्तावित नया विधेयक इसे राहत प्रदान करेगा। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के जरिये सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। विधेयक में सबसे बड़ा परिवर्तन सभी दूरसंचार प्लेटफॉर्म के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी के सार्वभौमिक नियम के बजाय आवश्यक होने पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के मामले में प्रशासित मूल्य निर्धारण पर स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए स्थान बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में निर्णय दिया था कि प्राकृतिक सार्वजनिक संसाधनों मसलन स्पेक्ट्रम के वितरण के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तब से स्पेक्ट्रम का आवंटन केवल बोली प्रक्रिया के जरिये हुआ है। बिल पेश करने के साथ ही सरकार ने शीर्ष अदालत से यह स्पष्टीकरण भी चाहा है कि क्या वह उन मामलों में हवाई तरंगों को प्रशासित कीमत पर आवंटित कर सकती है, जहां प्रतिस्पर्धी बोली लगाना व्यावहारिक न हो। माना जा रहा है कि अदालत का जवाब इस मसले को हल कर देगा। प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी ऐक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 को प्रतिस्थापित करने वाला है और इससे दूरसंचार क्षेत्र को मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की शक्तियों को अक्षुण्ण रखा गया है। ट्राई के चेयरमैन के मामले में विधेयक समुचित अनुभव वाले निजी क्षेत्र के व्यक्ति के पक्ष में है।

इससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से खुलापन आएगा। स्पेक्ट्रम के मामले में सुधार सामने आएंगे और एक बार कानून पारित हो जाने के बाद दूरसंचार कंपनियों का काम आसान हो जाएगा। यह सुखद है कि विधेयक सभी अंशधारकों के मसलों पर ध्यान देता है- उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त नियमन से लाभ होगा, अगर प्रस्तावित ऑनलाइन विवाद निस्तारण प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करती है तो उद्योग जगत, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा दूरसंचार और टावर कंपनियों को अधोसंरचना में समर्थन मिल सकता है क्योंकि विधेयक किसी दूरसंचार नेटवर्क को क्षति पहुंचाने या किसी सेवा को बाधित करने वालों के खिलाफ कड़े कदम की बात कहता है। व्हाट्सऐप, स्काईप और अन्य ओवर द टॉप (ओटीटी) सेवाओं को राहत के रूप में उन्हें दूरसंचार नियमन से बाहर रखा गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि ओटीटी का नियमन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र से जुड़ी अब तक की अस्पष्टता समाप्त हो जाएगी। बहरहाल, यह प्रावधान सरकार के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि आपात स्थिति में सरकार किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का अधिग्रहण कर सकेगी। इसका इस्तेमाल मुक्त बाजार का दमन करने या लोकतंत्र के दमन में नहीं होना चाहिए।

निजता के नियम तथा किन परिस्थितियों में सरकार सेवाओं को अपने हाथ में ले सकती है, इसे पर्याप्त जांच और संतुलन के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। निकट भविष्य में उनको लाभ हो सकता है, जो अपनी ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सेवा शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि विधेयक में वैश्विक व्यवहार का पालन करते हुए इस क्षेत्र में स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासित मूल्य पर करने की इजाजत दी गई है। इन बातों के बीच इस कानून को लेकर एक दीर्घकालिक नजरिया जरूरी है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

नागरिको के घरों मे बेधड़क घुसने वाले अडानी बिजली कर्मियों का विरोध मे उतरी जनता, उठाया इज्जत अब्रु को लेकर सवाल

नागरिको ने अडानी बिजली कंपनी के भारी भरकम बिजली बिल पेनाल्टी... एफआईआर किया विरोध

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) मानखुर्द-शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न रहीवासिय इलाकों मे लोटस कॉलोनी, शिवाजी नगर, बैंगनवाडी, संजय नगर, उमार खाडी, पद्म नगर, बांद्रा प्लॉट चिककलवाडी , मानखुर्द, जाकिर हुसैन नगर,साठे नगर, पीएमजीपी मांडाला ट्रांजिट कैंप, मांडाल स्क्राप ,लोहार चाल, जनता नगर बंगाली पुरा ,एकतानगर, शिवनेरी से लगी बड़ी संख्या मे झुग्गी झोपड़पट्टियों से घिरे इलाकों मे बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओ को लेकर अडानी कंपनी ने ठेके पर कर्मियों की नियुक्ति की है ।

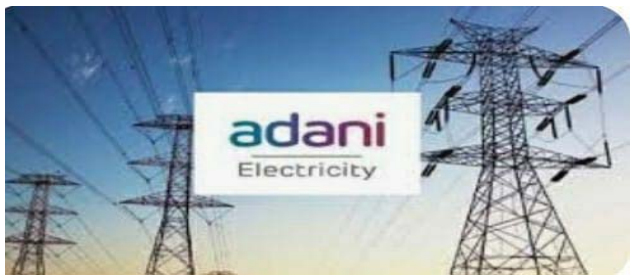

कहा जाता है की बगैर किसी परमिशन के नागरिको के घरों मे बेधड़क घुसने की घटनाओ ने नागरिको की मान सम्मान को लेकर उठने वाले प्रशन पर सवालिया निशान लगा दिया है । नागरिको ने अडानी बिजली कंपनी के भारी भरकम बिजली बिल पेनाल्टी,एफआईआर किया विरोध

जिसको लेकर बड़ी संख्या मे विभिन्न इलाकों के नागरिको ने समाज सेवको के साथ मिलकर पत्रकार परिषद का आयोजन कर शसान प्रशासनिक महकमे से अपनी परेशानी से अवगत करवाया है। उल्लेखनीय तौर पर गोवंडी, शिवाजीनगर सहित बड़ी संख्या मे लगे विभिन्न झोपड़ पट्टियाँ बहुलय इलाकों मे होने वाली बड़े पैमाने पर बिजली चोरी रोकने पर पूर्व की बिजली कंपनियों द्वारा बिजली चोरी करने वाले माफियाओ पर नकेल कसने के लिए नाकाम साबित होने से बीएसईएस, रिलायंस कंपनी तक घाटे मे डूब गई।

वहीं अब अडानी बिजली कंपनी जड़ से बिजली की चोरी रोकने के लिए नागरिको के घरों मे बगैर किसी अनुमति के बेधड़क धावा बोलकर मनमाने तरीके से हजारों, लाखों रुपए की पेनाल्टी लगाकर एफ आई आर दर्ज कर रहे है। जिसके कारण एम पूर्व विभाग की जनता मे अडानी कंपनी मे कार्यरत कंट्रैक मे काम करने वाले बिजली कर्मियों रिकॉवेरी एजेंट के रवाईये से परेशान हो चुके है ।

उपभोक्ता और रेकॉवेरी एजेंटो, बिजली कर्मियों के घरों मे बेधड़क घुसकर लाइट बंद कर मीटर काटकर ले जाने को लेकर बढ़ते झगड़ो के कई मामले इलाकों के विभिन्न पोलिस स्टेशनों मे दर्ज है ।वही बुधजीवि वर्ग के अनुसार अडानी बिजली कंपनी और चोरी की बिजली चालने वाले माफियाओ के झगड़े मे पीस रही है झुग्गी झोपड़ पट्टियों मे रहने वाली गरीब दिहाड़ी पर कामाने वाली जनता।

कुर्ला एल विभाग सहायक आयुक्त धनंजय हेर्लेकर ने लाखों नागरिको की जिंदगी दांव पर लगाई

स्वाभिमान सेवा संस्था के अधक्ष्य दीनानाथ तिवारी ने हजारों नागरिको के साथ किया वार्ड का घेराव

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) चंदीवाली विधानसभा क्षेत्र मे बढ़ते आरएमसीप्लांट के प्रदुषण और आशार्फिया मस्जिद तीन नंबर खाडी की एकतासेवा चाल कमिटी मे फैली नाली, कचरे गंदगी से सालों से ठसा ठस भरी गटर बदबु,गंदगी से उड़ रही स्वछता की धज्जियां । एल प्रभाग के सहायक अधिकारिय धनंजय हेर्लेकर अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ चंदीवाली निर्वाचन क्षेत्र की तीन लाख नागरिको की जिंदगी दावों पर लगाकर मरने के लिए छोड दीया है । जिसको लेकर इलाके के वरिष्ठ समाज सेवक दिनानाथ तिवारी के नेतृत्व मे एल विभाग प्रभाग मे प्रचंड मोर्चा गया था।

इसके अलावा प्रदूषण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना निर्माण करने वालों को आवश्यक है । प्रदूषण के नियमों का पालन न करने पर कानूनी तथा दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है । स्वाभिमान सेवा संस्था के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष संजय दीनानाथ तिवारी के नेतृत्व में हजारों नागरिकों ने वार्ड का घेराव किया। दूसरी ओर स्थानीय विधायक दिलीप लांडे मामा हीवाली अधिवेशन मे होने के कारण उपलब्ध नही हो पाये फोन पर ! इसके बाद संजय तिवारी के नेतृत्व में नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचा। घाटकोपर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरएमसी प्लांट के मालिकों पर अपराध क्रमांक की 1134 दफा 188, 268, 278, 290, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले ने पुलिस ने योगेंद्र यादव, प्रशांत यादव, संतोष बनकर, अविनाश नौलवाड़े तथा एक अज्ञात को आरोपी बनाया है.

दादर के एक हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या

मुंबईः सोमवार को शिवाजी पार्क स्थित एक मशहूर कॉलेज के हॉस्टल की सातवीं मंजिल से कूदकर 19 साल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. परीक्षा में नकल करते समय पर्यवेक्षकों ने उसे पकड़ लिया। इसलिए पुलिस को जानकारी मिली है कि उन्होंने तनाव में आकर आत्महत्या की है. पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है. छात्र का नाम लक्ष सतेंद्र फि रमा (19) है और वह शिवाजी पार्क स्थित मशहूर होटल मैनेजमेंट कॉलेज का छात्र था।

हिंदी मुस्लिम एकता मंच ने किया यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले शफीउद्दीन सिद्दीकी का किया सम्मान

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच के तरफ से गोवंडी में रहने वाले युवक यूपीएससी (UPSC) परीक्षा पास करने पर गोवंडी का गौरव बढ़ाने वाले शफीउद्दीन सिद्दकी का समान हिंदू मुस्लिम एकता मंच के मुंबई प्रदेश अधक्ष फहमीद कुरैशी का सम्मान फूलों का गुलदस्ता, शाल ओढ़ाकर किया। फहमीद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा की वक्त बदल रहा है। मुंबई भर मे अब गोवंडी की पहचान बदल रही है। उपरोक्त अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच के अन्य पाधिकारी शमीम बानो सहित और भी लोग उपस्थित थे। गौरतलब हो की अभी शफीउद्दी सिद्दीकी कुछ वर्ष पूर्व गोवंडी से नई मुंबई सीवुड दरावे आगये है परिवार के साथ रहने की लिए.

कुत्तों के काटने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर

मुंबई: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुत्तों के काटने की घटनाएं इस वर्ष 26.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी हैं। वर्ष 2022 में जहां ऐसी 21.8 लाख घटनाएं हुई थीं, वहीं इस वर्ष इनकी संख्या 27.5 लाख रही। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इस साल केरल, झारखंड, दिल्ली, असम और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कुत्तों के काटने की घटनाएं सबसे अधिक बढ़ीं। कुत्तों के काटने और हमला करने की घटनाएं हाल के दिनों में सुर्खियों में रही हैं। इनमें वाघ बकरी चाय कंपनी के एग्जीक्यूटिव निदेशक और मालिक 49 वर्षीय पराग देसाई का मामला ताजा है, जिसमें उन्हें सुबह की सैर करते समय कुत्ते ने हमला कर दिया था। उससे बचने की कोशिश में उनके सिर में गंभीर चोट लगी और वह उससे उबर नहीं पाए। मंत्रालय के अनुसार अगर वर्ष दर वर्ष प्रतिशत बढ़त के मामले में देखें तो केरल इस मामले में सबसे आगे रहा है। इसके बाद झारखंड, दिल्ली, असम और चंडीगढ़ में कुत्तों के काटने की घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ीं। इस दक्षिणी राज्य में पिछले साल जहां 4000 लोगों को कुत्तों ने काटा था, इस वर्ष 1,486 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 63,458 ऐसी वारदात हुईं। कुत्तों के काटने के मामले में दिल्ली में 143 फीसदी की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 6,634 के मुकाबले इस वर्ष 16,133 घटनाएं हुईं। हालांकि पिछले पांच साल के आकलन में दिल्ली में 85 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। यहां वर्ष 2018 में

1,07,642 लोगों को कुत्तों ने काटा था।कुत्तों के काटने और हमला करने की घटनाओं में वृद्धि पर बिजनेस स्टैंडर्ड के सवाल पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कहा कि एनजीओ की मदद से संस्था नसबंदी, टीकाकरण और रैबीजरोधी टीका लगाने के लिए हर महीने 100 से 125 कुत्तों को सड़कों से उठाकर ले जाती है। एनडीएमसी द्वारा तय एनजीओ औसतन दो से चार कुत्तों की नसबंदी करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच नसबंदी और इलाज के लिए लाए गए कुत्तों की संख्या 451 रही।

कुत्ता काटने की कुल घटनाओं के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, जहां इस वर्ष 4,35,136 लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए। यहां पिछले साल कुत्तों से पीड़ित लोगों की संख्या 3,90,878 थी। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां 404,488 मामले सामने आए। इसी प्रकार गुजरात में 2,41,846, बिहार में 2,19,086 और उत्तर प्रदेश में 2,18,79 लोगों को कुत्तों ने काटा।

कुत्तों के काटने की सबसे कम घटनाएं नगालैंड (569), मिजोरम (1,035), लद्दाख (2,316), मणिपुर (2,511) और अरुणाचल प्रदेश (3,757) से सामने आई हैं। रैबीज रोधी इंजेक्शन की कीमत के सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि रैबीज रोधी वैक्सीन (एआरवी) की एक शीशी की कीमत 250 रुपये और रैबीज इम्यूनोग्लोबिन (आरआईजी) की एक शीशी की औसत कीमत 350 रुपये होती है।

देश में इस समय दो तरह के रैबीज इम्यूनोग्लोबिन टीके उपलब्ध हैं। इनमें एक 'मन इम्यूनोग्लोबिन (एचआरआईजी) और दूसरा इक्यिन इम्यूनोग्लोबिन (ईआरआईजी) है, जिसमें एचआरआईजी का आयात किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय मुफ्त दवा पहल के माध्यम से मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एआरवी तथा आरआईजी की खरीद के लिए फंड मुहैया कराया था, ताकि रैबीज को फैलने से रोका जा सके। सरकार के आकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए एआरवी और एंटी रैबीज सीरम (एआरएस) खरीदने के लिए एनएचएम ने 99.77 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की थी।

महाराष्ट्र का नया डीजीपी कौन होगा?

एक बार फिर से महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में यह सवाल... !

मुंबई: महाराष्ट्र में जैसे-जैसे 31 दिसंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राज्य के नए डीजीपी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसकी कारण है महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की डीजीपी पद पर नियुक्ति रुकी पड़ी हुई है। महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि 31 दिसंबर तक शुक्ला की नियुक्ति डीजीपी के पद नहीं होती है तो उनके डीजीपी बनने की राह मुश्किल हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने डीजीपी रजनीश सेठ को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ढाई महीने बाद भी यह पद खाली है क्योंकि राज्य सरकार ने उन्हें पदमुक्त नहीं किया है। सेठ निर्धारित आयु सीमा के अनुसार 31 दिसंबर को महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो वहीं रश्मि शुक्ला केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनकी वर्तमान रैंक डीजी की है।

अक्टूबर में 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला का नाम महाराष्ट्र की नई डीजीपी के तौर सामने आया था। इसके लिए सरकार ने सितंबर में ही रश्मि शुक्ला का नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग भेज दिया था। गृह विभाग की ओर से 30 साल की सेवा पूरी कर चुके पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की सूची और प्रत्येक की सेवा अवधि का पूरा विवरण आयोग को भेजा गया था। वरिष्ठता क्रम में शुक्ला पहले स्थान पर हैं और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं के टेलीफोन टैप करने के आरोप में उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे। माना जा रहा था कि 12 सितंबर 23 को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आरोपों को खारिज करने के बाद शुक्ला की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई थी। इस बीच, रजनीश सेठ ने गृह विभाग को पत्र भेजकर उन्हें पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है, लेकिन राज्य सरकार ने महानिदेशक पद का प्रभार किसी अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपने का आदेश जारी नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि आयोग ने रश्मि शुक्ला से जुड़े मामलों और अदालती आदेशों की जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार आयोग से नामों की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद महानिदेशक की नियुक्ति करती है। शुक्ला 30 जून, 2024 को सेवानिवृत्त होंगी। ऐसे में अगर उनकी नियुक्ति और टलती है तो महानिदेशक पद के लिए चयन नियमों के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है जिनका कार्यकाल कम से कम छह महीने का हो। इसलिए 31 दिसंबर 2023 तक महानिदेशक पद के संबंध में निर्णय होने पर ही शुक्ला के नाम पर विचार किया जा सकता है। अगर उनकी नियुक्ति और लंबी खिंचती है तो कानूनी बाधा आ सकती है।

हनुमान चालीसा पाठ मामले में राणा दंपति की याचिका खारिज...

गली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का निर्देश

मुंबई: हनुमान चालीसा मामले में सेशन कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका को खारिज किया है. अप्रैल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास्थान के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के मामले में खुदको दोषमुक्त करने की यह याचिका दायर की थी. आज कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और याचिका को खारिज किया. निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (नवनीत राणा) और उनके पति विधायक रवि राणा राणा को बॉम्बे सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव

ठाकरे के निजी घर के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने रवि राणा और नवनीत राणा की केस रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. यह राणा दंपत्ति के लिए बड़ा झटका है. मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा जाप आंदोलन के मामले में नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस केस को रद्द करने के लिए राणा दंपत्ति ने याचिका दायर की थी. उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. खार थाने में दर्ज मामले में सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा आरोपी हैं.

राणा ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही गिरफ्तारी अवैध थी. कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

कालवा हॉस्पिटल में एक क्लिक से जान सकेंगे मरीजों की पिछली हिस्ट्री...

ठाणे: कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 500 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासन ने वहां दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है. इसके तहत निजी अस्पतालों की तर्ज पर अब कालवा अस्पताल भी इलाज के लिए आने वाले मरीजों की बीमारियों की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करेगा और मरीजों को रजिस्ट्रेशन नंबर देगा. इस नंबर के आधार पर डॉक्टरों के लिए एक क्लिक पर संबंधित मरीजों की जानकारी प्राप्त करना और उनका

इलाज करना आसान हो जाएगा।

ठाणे नगर निगम के पास कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल है। इस अस्पताल में करीब पांच सौ बेड हैं. यहां प्रतिदिन दो हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं। इसमें ठाणे शहर, ठाणे ग्रामीण और पालघर जिले के मरीज शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों से नगर पालिका को इस अस्पताल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। रोना है कि मरीजों की संख्या के मुकाबले यह अस्पताल नाकाफी है. कुछ महीने पहले अस्पताल में एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत हो गई थी. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की आलोचना होने लगी. इसके बाद ठाणे नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने अस्पताल में पांच सौ बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने और वहां दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. यहां केस पेपर और दवा खिड़कियों की संख्या बढ़ाकर कतारें कम कर दी गई हैं। साथ ही साफ-सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है. इसके बाद मनपा प्रशासन ने निजी अस्पतालों की तर्ज पर कालवा अस्पताल में आमूल-चूल परिवर्तन करने का कदम उठाया है.

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 21 दिसंबर 2023

64 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हमला... आरोपी युवक गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई में ट्रॉम्बे थाना पुलिस ने 64 वर्षीय विधवा के साथ दुष्कर्म-सह-हमला करने और फिर उसे महाराष्ट्र के ठाणे क्रीक के पास मरने के लिए छोड़ने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र रणशेवरे ने कहा, ''कल देर रात गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान उत्तर-पूर्व मुंबई के मानखुर्द उपनगर के शांतिनगर निवासी 38 वर्षीय उमेश गुलाबराव ढोक के रूप में हुई है।

रणशेवरे ने कहा, ''आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उस पर आईपीसी और पॉक्सो के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए हैं और आगे की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, महिला सोमवार शाम को नेहरू नगर में स्थानीय खंडोबा मंदिर गई थी और लौटने पर आरोपी ने उसे घर छोड़ने के बहाने शांतिनगर में अपने कमरे में ले गया। अपने घर में उसने सोमवार-मंगलवार की रात को महिला के साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म किया, उस पर छड़ी से कई बार हमला किया, जिससे चेहरे, सिर, छाती, अंगों और निजी अंगों पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने कहा कि जब वरिष्ठ महिला बेहोश हो गई, तो उसने उसे सुबह करीब 5 बजे ठाणे क्रीक के साल्ट-पैन इलाके में अपने घर के पास नग्न अवस्था में फेंक दिया।

वसई/ निजी अस्पतालों को नोटिस... मरीजों को खून देने की जिम्मेदारी अस्पतालों की

वसई : मरीजों को जरूरत पड़ने पर रक्त मुहैया कराना संबंधित अस्पतालों और नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है। इसके लिए वसई विरार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को निजी ब्लड बैंकों से संबद्ध रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी रक्त की कमी दूर करने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करने को कहा गया है. वसई विरार शहर इस समय खून की भारी कमी से जूझ रहा है। केवल निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ही रक्त की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। इसलिए मरीज के रिश्तेदार को बताया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में मरीज को रक्तदाता की आवश्यकता होने पर नियमानुसार रक्त उपलब्ध कराना अस्पतालों की जिम्मेदारी है। इस बीच, कुछ अस्पताल मरीजों के रिश्तेदारों को

भागने के लिए कह रहे हैं। नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। नगर पालिका ने सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को ब्लड बैंक से जुड़ने और मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया है।

महाराष्ट्र (बॉम्बे) नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1949 और महाराष्ट्र (बॉम्बे) होम पंजीकरण नियम 2021 की अधिसूचना के विनियमन 11 (एन) के अनुसार, संबंधित नर्सिंग होम को मरीजों को रक्त आपूर्ति के लिए एक लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक से संबद्ध होना चाहिए। नगर पालिका के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ने कहा, जब मरीज को रक्त आधान की आवश्यकता होती है, तो मरीज को रक्त उपलब्ध कराना नर्सिंग होम की जिम्मेदारी है। भक्ति चौधरी ने कहा.

रक्तदान शिविरों का आयोजन करें

शहर में रक्त की कमी को दूर करने के लिए नगर पालिका ने उपाय लागू करना शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को रक्तदान शिविर आयोजित करने का आदेश दिया गया है। रक्तदान के प्रति जन जागरूकता पैदा करने और इस संबंध में नगर पालिका को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

दादर में सर्राफ कंपनी के मैनेजर से मारपीट कर लूटपाट, डकैती का मामला दर्ज

मुंबईः दादर ईस्ट इलाके में सर्राफ कंपनी के मैनेजर को छह लोगों ने पीटा और उनका 27 लाख का कीमती सामान लूट लिया. आरोपियों ने उस टैक्सी को रोका जिसमें मैनेजर यात्रा कर रहा था और उसे लूट लिया। इस मामले में माटुंगा पुलिस ने छह अज्ञात लोगों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया है।

लोअर पराल इलाके के सन मिल कंपाउंड में रहने वाले बलरामकुमार पोलेंद्र सिंह (26) मैनेजर बी.एम. एक जौहरी एक कंपनी में काम करता है। सिंह अपने साथियों सोमेन सैकती और तौफीक मुल्ला के साथ सोमवार को दादर रेलवे स्टेशन से लोअर पराल इलाके में जा रहे थे। तभी रामी होटल के पास छह लोगों ने उसकी टैक्सी रोक ली और उसे पीटना शुरू कर दिया. इसी दौरान आरोपियों ने उनसे लाल रंग के बैग में 35 किलो ढलाई सोना और सोने का बुरादा (650 ग्राम) समेत करीब 27 लाख रुपये का माल छीन लिया. इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए।

सिंह ने कंपनी के मालिकों को सूचित करने के बाद स्थानीय माटुंगा पुलिस को मामले की सूचना दी। सिंह की शिकायत पर माटुंगा पुलिस ने डकैती और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्धों की तलाश जारी है. आरोपियों को सिंह के पास मौजूद सामग्री की जानकारी थी। इसलिए आशंका है कि किसी परिचित ने ही आरोपी को इसकी जानकारी दी है. इस मामले में माटुंगा पुलिस क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मिलकर समानांतर जांच कर रही है।

एमसीएचआई की मांग... धारावी 'टीडीआर' के बदले एफएसआई पर प्रतिबंध हटाएं!

मुंबईः कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) और महाराष्ट्र चैंबर्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज (एमसीएचआई) ने मांग की है कि सरकार, जो धारावी पुनर्विकास में उत्पन्न होने वाले हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) को लागू कर रही है, को इसके उपयोग पर प्रतिबंध हटाना चाहिए। कारपेट एरिया और कारपेट एरिया प्रीमियम पर रियायतें दी हैं

हालांकि डेवलपर्स की इस मांग को स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि डेवलपर्स ने एक तरह से धारावी टीडीआर बाध्यता का विरोध किया है। धारावी पुनर्विकास परियोजना में अडानी समूह की नियुक्ति के साथ-साथ सरकार ने डेवलपर्स के बीच टीडीआर के लिए एकाधिकार बना दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर कोई डेवलपर बात करने को तैयार नहीं है.

मलाड में अक्सा समुद्र तट पर समुद्री दीवार के निर्माण पर रोक...

मुंबईः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मुंबई के मलाड में अक्सा समुद्र तट पर कटाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा किए जा रहे समुद्री दीवार के निर्माण पर रोक लगा दी है। समुद्री दीवार का करीब 95 फीसदी काम पूरा होने के बाद यह फैसला लिया गया है. दावा किया गया है कि इस समुद्री दीवार के निर्माण के दौरान महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण) के नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसके निर्माण को रोकने का आदेश दिया

गया है। मलाड के अक्सा बीच पर हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अक्सा बीच का क्षरण हो रहा है। इसलिए इस तट पर समुद्री दीवार बनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, इस समुद्री दीवार का निर्माण कार्य किया गया। इस बीच, समुद्री तट के किनारे एक समुद्री दीवार बनाए जाने की उम्मीद थी। लेकिन मैरीटाइम बोर्ड ने तट के मध्य में एक समुद्री दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। इस कारण इस दीवार के दोनों ओर समुद्र तट है।

नियमों का उल्लंघन कर समुद्री दीवार बनाने का आरोप लगाते हुए कुछ पर्यावरणविदों ने इस मामले में शिकायत की थी. उनकी शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लिया है. इस मामले में हुई सुनवाई में मैरीटाइम बोर्ड ने 'सीआरजेड 1' में निर्माण किया है.

रेलवे में बढ़ रहे अपराध... वर्ष के दौरान 1098 अपराध

वसईः रेलवे उपनगरीय ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर अपराध दर बढ़ने लगी है. इस साल वसई रेलवे पुलिस की सीमा में 1 हजार 98 अपराध हुए हैं. इनमें से 980 अपराध मोबाइल चोरी के हैं। वसई रेलवे पुलिस स्टेशन की सीमा में मीरा रोड से वैतरणा तक सात रेलवे स्टेशन शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ का फायदा चोरों ने उठाया है. रेलवे ट्रेनों और स्टेशन क्षेत्रों में मोबाइल चोरी, वॉलेट चोरी, सोने की चेन चोरी, छेड़छाड़, मारपीट जैसे कई तरह के अपराध हो रहे हैं।

खासकर विरार, नालासोपारा, नायगांव, वसई सबसे ज्यादा भीड़ वाले स्टेशन हैं। इस साल मीरारोड और वैतरणा के बीच 1098 अपराध हुए हैं, जिनमें से 387

अपराधों का पता लगाया जा चुका है. यह अनुपात 35 फीसदी है और बाकी अपराधों की जांच चल रही है. पिछले वर्ष की तुलना में अपराध में 150 की वृद्धि हुई है। अपराध कम करने के लिए गश्त, संदिग्धों की जांच, जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ गयी है. रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गश्त के बावजूद कई घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं. पुलिस का कहना है कि ज्यादातर अपराधों का खुलासा सीसीटीवी कैमरों की वजह से होता है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे में होने वाले अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे कम करने के हमारे प्रयास जारी हैं।' यात्रियों को भी सावधानी से यात्रा करनी चाहिए या यात्रा के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक पाए जाने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com